न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/54/2021

राधेश्याम पुरोहित पुत्र स्व0 श्री पूरनाराम ग्राम फतेहपुर कलां पोस्ट मूडौती तहसील नगर जिला भरतपुर।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, भू0अभिलेख शाखा कलैक्ट्रेट भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 03.08.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है राधेश्याम पुरोहित पुत्र स्व0 श्री पूरनाराम ग्राम फतेहपुर कलां पोस्ट मूडौती तहसील नगर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2021 प्रभारी अधिकारी, भू0अभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। प्रभारी अधिकारी, भू0अभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/458 दिनांक 20.07.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, भू0अभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बावत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध प्रभारी अधिकारी, भू0अभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र कमांक 5591 दिनांक 26.07.2021 के द्वारा जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी, भू0अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने प्रभारी अधिकारी, भू0अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, भू0अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब पत्र कमांक 5591 दिनांक 26.07.2021 से अवगत कराया है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचनाऐं उनके कार्यालय से सबंधित न होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन उपखण्ड अधिकारी नगर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाकर अपीलान्ट को भी सूचित कर दिया गया है। चूँकि अपीलान्ट द्वारा प्रभारी अधिकारी, भू0अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है किन्तु वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, भू0अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सम्बंधित न होने से उनके द्वारा अपीलान्ट का आवेदन धारा 6(3) के तहत उपखण्ड अधिकारी नगर को अन्तरित करते हुए

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी भुसावर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भुसावर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर